रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3— उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191] नई दिल्ली, बुधवार, मई 21, 1997/वैशाख 31, 1919
No. 191] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 21, 1997/VAISAKHA 31, 1919

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 मई, 1997

सा. का. नि. 268 (अ).—भारत गणराज्य की सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच नए प्रत्यर्पण करार पर थिंपू में 28 दिसंबर, 1996 को हस्ताक्षर किए गए थे और अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान 20 मई, 1997 को, नई दिल्ली में किया गया था और उस संधि में निम्नलिखित का उपबंध किया गया है :

भारत गणराज्य की सरकार

और

भूटान की शाही सरकार

के बीच

प्रत्यर्पण करार

"प्रस्तावना :

भारत गणराज्य की सरकार और भूटान की शाही सरकार, जिन्हें इसमें इसके बाद 'पक्ष' कहा गया है :

एक-दूसरे की सुरक्षा और स्थिरता की रक्षा के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होकर;

अपने-अपने प्रदेशों में आतंकवाद, अलगाववाद की बढ़ती हुई प्रवृत्ति शान्ति और स्थायित्व को प्रभावित करने वाली आपराधिक तथा अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए;

अपनी-अपनी सुरक्षा और स्थिरता को प्रभावित करने वाली आपराधिक और गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम करने और उनका दमन करने के लिए प्रभावशाली ढंग से सहयोग करने की इच्छा से;

आपस में स्थायी मैत्री और निकट सहयोग की भावना को बरकरार रखते हुए नीचे लिखे अनुसार एक नया प्रत्यर्पण करार संपन्न करने पर सहमत हुई है:

अनुच्छेद-एक

प्रत्यर्पण का दायित्व

दोनों संविदाकारी पक्ष इस करार की शर्तों के अध्यधीन, किसी ऐसे व्यक्ति को दूसरे देश को प्रत्यर्पित करने के लिए सहमत होते हैं जो दोनों में से किसी एक पक्ष के प्रदेश में प्रत्यर्पणीय अपराध का आरोपी अथवा सिद्धदोष अपराधी होते हुए दूसरे पक्ष के प्रदेश में पाया जाता है चाहे वह अपराध इस करार के लागू होने से पहले किया गया हो अथवा बाद में।

अनुच्छेद-दो

प्रत्यर्पणीय अपराध

1. कोई भी अपराध प्रत्यर्पणीय अपराध होगा यदि वह प्रत्येक संविदाकारी राज्य में कानून के अन्तर्गत एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए कैद सहित स्वतंत्रता के अपंवचन अथवा इससे भी अधिक कठोर दंड द्वारा दण्डनीय अपराध हो।

2. उन अपराधों के लिए भी प्रत्यर्पण किया जायेगा जो अनुरोधकर्ता राज्य तथा प्रार्थित राज्य के बाहर किए गए हों और जो अनुरोधकर्ता राज्य के कानून के अन्तर्गत उस राज्य में ऐसा अपराध माना जाता है जिनके लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।

3. कोई भी ऐसा अपराध प्रत्यर्पणीय अपराध माना जाएगा अगर वह किसी प्रत्यर्पणीय अपराध करने के प्रयास अथवा षडयंत्र में मदद करने अथवा दुष्प्रेरित करने अथवा उसे करवाने या उसके घटित होने से पूर्व अथवा उसके बाद इससे संबद्ध होने से संबंधित हो।

अनुच्छेद-तीन

मिलेजुले अपराध

1. किसी भी ऐसे प्रत्यर्पणीय अपराध के संबंध में भी प्रत्यर्पण किया जा सकेगा जब कभी भी प्रार्थित राज्य में कोई कार्य अथवा किसी व्यक्ति द्वारा व्यवहार पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से किया गया हो लेकिन जिसके परिणाम अपराधी की मंशा के अनुसार अनुरोधकर्ता राज्य में होते हों अथवा अपराध करने की प्रकृति के अनुसार उसके परिणाम अनुरोधकर्ता राज्य में होते हों अथवा इस बात का पूर्वानुमान लगाया जा सका हो कि उसके परिणाम अनुरोधकर्ता राज्य में होंगे, यह मानते हुए कि ऐसा अनुरोधकर्ता राज्य में हुआ हो।

2. पैरा एक में यथा परिभाषित कोई भी मिलाजुला अपराध अथवा इस प्रकार का मिलाजुला अपराध करवाने के लिए प्रमुख सहयोगी, समर्थनकर्ता अथवा उकसाने वाले के कृत्यों की तैयारी अथवा प्रयास ऐसे प्रत्यर्पणीय अपराध माने जाएंगे जिनके संबंध में अनुरोधकर्ता राज्य के अंदर मुकदमा चलाया जा सकता है।

3. ऐसे व्यक्तियों के संबंध में भी प्रत्यर्पण किया जा सकेगा जो किसी ऐसे संगठन से संबद्ध हैं जो अनुरोधकर्ता राज्य के कानून के अन्तर्गत गैरकानूनी घोषित कार्यकलापों में लगा हुआ है ऐसे व्यक्तियों के संबंध में भी जो ऐसे संगठन अथवा एसोसिएशन के गैरकानूनी कार्यकलापों अथवा उद्देश्यों में मदद कर रहे हों, उन्हें दुष्प्रेरित अथवा प्रोत्साहित कर रहे हों।

अनुच्छेद-चार

परस्पर सहायता

1. दोनों पक्ष उपयुक्त चैनलों के बीच परामर्श के जरिए, सूचना, आसूचना तथा विशेषज्ञता का आदान प्रदान करके तथा अन्य ऐसे सहयोगी उपाय करके एक दूसरे की अधिकाधिक मदद करेंगे जो एक दूसरे के प्रदेश में आगे दी गई श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली ऐसी गतिविधियों को रोकने की दृष्टि से किए गए हों जिनसे उनकी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो, ये व्यक्ति :

(क) अनुरोधकर्ता राज्य के हों लेकिन प्रार्थित राज्य के प्रदेश में पाए गए हों

(ख) प्रार्थित राज्य के हों, और

(ग) किसी तीसरे देश के हों लेकिन प्रार्थित राज्य में पाए गए हों

2. इस अनुच्छेद में ऊपर उल्लिखित मामलों के संबंध में निरंतर आधार पर सहयोग संवर्धित करने एवं सुविधाजनक बनाने के लिए पक्षकार राज्य उपयुक्त संयुक्त कार्य प्रणाली स्थापित करेंगे।

अनुच्छेद-पांच

अस्वीकृति का आधार

ऐसी स्थिति में प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा अगर उस व्यक्ति पर जिसके संबंध में अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा प्रत्यर्पण की मांग की जा रही है, प्रार्थित राज्य के प्रदेश में, उस अपराध के लिए जिसके लिए उसका प्रत्यर्पण प्रार्थित है, मुकदमा पहले ही चलाया जा चुका है और दोषमुक्त अथवा दण्डित किया जा चुका है अथवा अभी भी मुकदमा चलाया जा रहा है।

अनुच्छेद-छह

प्रत्यर्पण क्रियाविधि

इस करार के अन्तर्गत प्रत्यर्पण के लिए और/अथवा परस्पर सहायता के लिए अनुरोध दोनों में से किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को अथवा उन (पक्षों) के द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी (अधिकारियों) से किया जा सकेगा। प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध लिखित रूप में किया जाएगा और उस पर कार्रवाई प्रार्थित राज्य के कानून के अनुसार की जाएगी।

इस उद्देश्य के लिए अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा प्राधिकृत अथवा अन्य किसी अभिकरण द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी का वारंट पर्याप्त होगा। मामले की प्रथम दृष्ट्या अपेक्षाओं के अनुसार दोनों पक्ष छोड़ने के लिए सहमत हैं।

अनुच्छेद-सात

अस्थायी गिरफ्तारी

अत्यावश्यकता की स्थिति में दोनों में से कोई भी संविदाकारी राजनैयिक चैनल के माध्यम से प्रार्थित राज्य को प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध करने से पूर्व ही वांछित व्यक्ति की अस्थायी गिरफ्तारी के लिए आवेदन कर सकता है। अस्थायी गिरफ्तारी के लिए अनुरोध राजनैयिक चैनलों के माध्यम से किया जाएगा और उस पर कार्रवाई प्रार्थित राज्य के कानून के अनुसार की जाएगी।

अनुच्छेद-आठ

अभ्यर्पण

यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध मंजूर हो जाता है तो वांछित व्यक्ति का अभ्यर्पण दोनों पक्षों के बीच परस्पर सहमत समय के अन्दर और स्थान पर किया जाएगा।

अनुच्छेद-नौ

व्यय

इस करार के अनुसरण में की गई गिरफ्तारी, नजरबंदी अथवा अभ्यर्पण पर हुए किसी भी व्यय का वहन और उसकी अदायगी प्रार्थित राज्य द्वारा की जाएगी।

अनुच्छेद-दस

अनुसमर्थन एवं समापन

यह करार अनुसमर्थन की शर्त के अध्यधीन है और अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान प्रदान यथाशीघ्र..............................में किया जाएगा। यह करार अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान प्रदान होने पर प्रभावी होगा।

दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष राजनैयिक माध्यमों के जरिए छह माह का नोटिस देकर इस करार को समाप्त कर सकता है। ऐसे नोटिस की अवधि समाप्त होने पर इस करार की प्रभावकारिता समाप्त हो जाएगी।

जिनके साक्ष्य में, अपनी-अपनी सरकार द्वारा प्राधिकृत होकर अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने इस करार पर हस्ताक्षर किए।

आज थिम्पू में 28 दिसंबर, 1996 को हिंदी, ड्ज़ोंखा, अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल पाठों में संपन्न, प्रत्येक पाठ समान रूप से प्रामाणिक है। तथापि, शंका की स्थिति में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा।''

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की अधिसूचना सा. का. नि. 2093, तारीख 26 अगस्त, 1969 को अधिक्रांत करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध, अध्याय 2 से भिन्न, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूटान की शाही सरकार पर लागू होंगे।

[संख्या टी-4131/01/97]

के. सी. सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 21st May, 1997

G.S.R. 268 (E).—Whereas the new Extradition Agreement between the Republic of India and the Kingdom of Bhutan was signed in Thimpu on 28th December, 1996 and the instruments of ratification exchanged at New Delhi on 20th May, 1997 and which Treaty provides as follows :

EXTRADITION AGREEMENT

BETWEEN

THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE KINGDOM OF BHUTAN

"Preamble :

The Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Bhutan, hereinafter called the Parties :

Being fully committed to safeguarding each other's security and stability;

Taking cognizance of the rising trend in terrorist, secessionist, criminal and other unlawful activities affecting peace and stability in their territories;

Desirous of cooperating effectively to prevent and suppress such terrorist, secessionist, criminal and other unlawful activities affecting their security and stability;

Have agreed, in keeping with the spirit of abiding friendship and close cooperation between them, to enter into a new extradition agreement with each other which is as follows :

Article 1

Duty to Extradite

Each Contracting Party agrees to extradite to the other, subject to the conditions of this Agreement, any person, who, being accused of, charged with or convicted of an extraditable offence in the territory of one Party, is found in the territory of the other Party, whether or not such offence was committed before or after the coming into force of this Agreement.

Article 2

Extraditable Offences

1. An offence shall be an extraditable offence if it is punishable under the laws in either Contracting State by deprivation of liberty, including imprisonment, for a period of more than one year or by a more severe penalty.

2. Extradition shall also be granted for acts committed outside the Requesting State and the Requested State which under the law of the Requesting State are deemed to be an offence liable for prosecution within that State.

3. An offence shall also be an extraditable offence if it consists of an attempt or a conspiracy to commit, aiding or abetting, counselling or procuring the commission of or being an accessory before or after the fact, to, any extraditable offence.

Article 3

Composite Offences

1. Extradition shall be available in respect of an extraditable offence whenever an act or conduct of a person occurred, wholly or in part, in the Requested State but the consequences of which as intended by the offender occurred within the Requesting State or, by the nature of the commission of which, the consequence resulting therefrom should occur within the Requesting State or it could be foreseen that the consequence would occur within the Requesting State, deeming that such offence is committed within the Requesting State.

2. Preparation or attempt to commit a composite offence as defined in paragraph 1 or the acts of a co-principal, a supporter or an instigator in the commission of such a composite offence shall be deemed to be extraditable offences liable for prosecution within the Requesting State.

3. Extradition shall also be available in respect of individuals belonging to an organisation engaging in activities declared to be unlawful by the law of the Requesting State and in respect of persons aiding, abetting or promoting such unlawful activities or objectives of the organisation or association.

Article 4

Mutual Assistance

1. The two Parties shall render the greatest measure of mutual assistance to each other through consultations between appropriate channels, exchange of information, intelligence and expertise and such other cooperative measures as may be

appropriate with a view to prevent and suppress activities in each other's territories, affecting their security, by persons belonging to :

(a) the Requesting State but found in the territory of the Requested State;

(b) the Requested State; and

(c) third countries but found in the Requested State.

2. With a view to promote and facilitate cooperation on an ongoing basis in respect of matters referred to above in this Article, the Parties shall establish appropriate joint mechanism.

Article 5

Grounds for Refusal

Extradition shall not take place if the person whose extradition is sought by the Requesting State has already been tried and discharged or punished or is still under trial in the territory of the Requested State for the offence for which his extradition is requested.

Article 6

Extradition Procedure

A request for extradition and/or mutual assistance under this Agreement shall be available at the request of either party to the other party or by any officer(s) authorised by them respectively in this regard. The request for extradition shall be inwriting and shall be processed in accordance with the law of the Requested State. For this purpose, a warrant of arrest issued by a court of law or any other agency authorised by the Requesting State shall be sufficient. The Parties thereby agree to dispense with the requirement of the prima facie case.

Article 7

Provisional Arrest

In case of urgency, either Contracting Party may apply for the provisional arrest of the person sought before the request for extradition has been submitted to the Requested State through the diplomatic channel. The request for provisional arrest shall be made through diplomatic channels and shall be processed in accordance with the law of the Requested State.

Article 8

Surrender

If the extradition request has been granted, surrender of the persons sought shall take place within such time and at such place as may be mutually agreed between the Parties.

Article 9

Expenses

The expenses of any apprehension, detention or surrender made in pursuance of this Agreement shall be borne and defrayed by the Requested State.

Article 10

Ratification and Termination

This Agreement is subject to ratification and the instruments of ratification shall be exchanged at Thimpu/Delhi as soon as possible. It shall come into force upon the exchange of instruments of ratification.

Either of the Contracting Parties may terminate this Agreement by giving six months' notice thereof through diplomatic channels. Upon the expiry of such notice, the Agreement shall cease to have any force or effect.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Tashichho Dzong, Thimpu on the Twenty-eighth day of December, Nineteen Hundred and Ninety six, in the originals each in Hindi, Dzongkha and English languages, each text being equally authentic. However, in case of difference, the English text shall prevail."

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 12 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs number G. S. R. 2093 dated the 26th August, 1969, the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter II, shall apply to the Kingdom of Bhutan with effect from the date of publication of this notification.

[No. T-413/01/97]

SHRI K. C. SINGH, Jt. Secy.

1254 GI/97

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997